भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3784

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2025

श्रेष्ठ स्कीम के अंतर्गत नामांकित अनुसूचित जाति के छात्र

3784. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों और स्वीकृत सीटों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) प्रारंभ से अब तक योजना के अंतर्गत निधि आवंटन और वास्तविक व्यय, निधि वितरण और प्रति छात्र लागत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शैक्षणिक परिणामों और स्कूल छोड़ने की दरों के संदर्भ में योजना की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी किए गए प्रदर्शन संकेतकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना की पहुँच बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रतिवर्ष 3000 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): केंद्रीय क्षेत्र की योजना नामत: "लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)" अपने वर्तमान स्वरूप में वर्ष 2021-22 से लागू है। इस योजना के मोड-I के अंतर्गत प्रति वर्ष 3,000 स्लॉट और मोड-II के अंतर्गत 13,500 स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। प्रति छात्र वार्षिक लागत **संलग्नक-I** में दी गई है।

वर्ष 2021-22 से योजना के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण और 2021-22 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकित छात्रों की संख्या, जारी की गई धनराशि (स्कूल/परियोजनावार) का विवरण क्रमशः **संलग्नक-II और III** में दिया गया है।

(ग): योजना के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99 प्रतिशत से अधिक रहा है तथा स्कूल छोड़ने वालों का प्रतिशत बहुत कम है।

(घ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने स्कूलों में इस योजना का प्रचार करने और अनुसूचित जाति के छात्रों को श्रेष्ठ योजना में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखने, अनुसूचित जाति के छात्रों को योजना का लाभ उठाने के लिए बिना किसी देरी के अपना अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने, और मंत्रालय की वेबसाइट तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से योजना के दिशानिर्देश, श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटीएस) आदि प्रकाशित करने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अलावा, सीटें भरने के लिए कई दौर की काउंसलिंग आयोजित की जा रही है।

संलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3784, जिसका उत्तर 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।

मोड-I	
कक्षा	राशि
9वीं	1,00,000
10वीं	1,10,000
11वीं	1,25,000
12वीं	1,35,000

मोड-II			
मानक	राशि		
	आवासीय	गैर-आवासीय	छात्रावास
प्राथमिक	44,000	27,000	30,000
माध्यमिक	55,000	35,000	30,000

उपर्युक्त के अलावा, ब्रिज कोर्स का प्रावधान है जिसके लिए वार्षिक शुल्क का 10% प्रदान किया जाता है।

संलग्नक-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3784, जिसका उत्तर 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।

योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**आवंटित की गई धनराशि**	**जारी की गई धनराशि**
1	2021-22	63.21	38.04
2	2022-23	89.00	51.12
3	2023-24	90.65	81.57
4	2024-25	110.00	109.98
5	2025-26	140.00	29.35 (07.08.2025 तक)

संलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3784, जिसका उत्तर 12.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख) में संदर्भित अनुलग्नक।

लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ) के अंतर्गत नामांकित अनुसूचित जाति के छात्रों, आवंटित धनराशि और व्यय का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई धनराशि 2021-22	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि 2022-23	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि 2023-24	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि 2024-25	लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	218.32	1153	261.32	457	667.24	947	1018.01	1154
2.	बिहार	192.75	226	246.1	198	142.29	115	132.29	112
3.	छत्तीसगढ	51.5	50	154.5	130	274.75	231	385.35	324
4.	गुजरात	14.71	201	31.62	163	32.18	29	92.56	129
5.	हरियाणा	8.75	103	75.18	242	361.62	293	888.94	760
6.	हिमाचल प्रदेश	9.25	9	42.64	35	67.4	56	86.07	72
7.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	झारखंड	33.09	73	129.6	85	70.71	60	89.89	72
9.	कर्नाटक	327.59	1751	279.77	887	454.52	1160	603.26	1123
10.	केरल	2.2	2	232.9	195	339.99	278	331.00	272
11.	मध्य प्रदेश	176.07	1062	253.87	520	379.28	547	430.44	470
12.	महाराष्ट्र	504.63	3825	744.29	4094	878.5	2982	913.99	1751
13.	ओडिशा	336.21	1898	415.36	1264	485.06	1222	355.44	668
14.	पंजाब	0	0	20.25	17	48.25	39	55.34	44
15.	पुदुचेरी	0	0	8.52	7	9.8	8	5.00	4

16.	राजस्थान	350.94	2360	486.9	1974	1286.45	2399	2000.12	2711
17.	तमिलनाडु	154.28	440	347.02	643	404.64	341	375.49	312
18.	त्रिपुरा	2	4	0	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	1046.44	3947	1034.38	3228	1674.65	3662	2427.01	3293
20.	उत्तराखंड	43.3	224	62.26	84	94.64	184	121.75	160
21.	पश्चिम बंगाल	106.55	1100	38.54	237	88.76	318	63.66	172
22.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	2.25	2	2.45	2	1.25	1
23.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	81.62	500	105.82	1026	155.1	752	170.22	542
24.	असम	64.86	707	64.04	588	6.00	5	3.75	3
25.	मणिपुर	14.31	200	0	0	11.00	25	26.46	0
26.	तेलंगाना	39.81	300	54.18	255	96.76	161	84.00	132
27.	मेघालय	24.87	300	21.66	148	0	0	0	0
	कुल योग	**3804.05**	**20435**	**5112.97**	**16479**	**8032.04**	**15816**	**10661.29**	**14281**

*****